

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :- विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 242/2022 वाद
GCMS No. - 2022/703

1. श्री हीरालाल पुत्र नानालाल जी जाति धाकड आयु 85 वर्ष निवासी बांगेडा घाटा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

-वादी

बनाम

1. रामसुखी बाई पत्नि प्रभुलालजी जाति धाकड आयु 80 वर्ष निवासी बांगेडा घाटा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज
2. तेजपाल पिता प्रभुलालजी जाति धाकड आयु 22 वर्ष निवासी बांगेडा घाटा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राजे०
3. जमना पत्नि कन्हैयालालजी जाति धाकड आयु वयस्क निवासी बांगेडा घाटा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
4. कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल जी जाति धाकड आयु 60 वर्ष निवासी बांगेडा घाटा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
5. मुन्नी पुत्री लाभचन्द जी पत्नि सुखलालजी जाति धाकड आयु 55 वर्ष निवासी बांगेडा घाटा तह० निम्बाहेडा हा०मु० अचलावदा तह० जावद जिला नीमच म०प्र०
6. मोतीलाल पुत्र मांगीलालजी जाति धाकड आयु 55 वर्ष निवासी बांगेडा घाटा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज
7. शांतिलाल पिता लाभचन्द जी जाति धाकड आयु 58 वर्ष निवासी बांगेडा घाटा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
8. सुरेशचन्द्र पिता लाभचन्दजी जाति धाकड आयु 60 वर्ष निवासी बांगेडा घाटा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
9. सावित्री देवी पुत्री भंवरलाल जी पत्नि भोलीरामजी जाति धाकड आयु 45 वर्ष निवासी बांगेडा घाटा तह० निम्बाहेडा हा०मु० अमरपुरा तह० जावद जिला नीमच म०प्र०
10. सीता पत्नि लाभचन्द जी जाति धाकड आयु 80 वर्ष निवासी बांगेडा घाटा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
11. हुडी पुत्री लाभचन्द जी पत्नि रामनिवास जी जाति धाकड आयु 55 वर्ष निवासी बांगेडाघाटा तह० निम्बाहेडा हाल मुकाम कनेरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०
12. भूमिधारी तहसीलदार साहब निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ राज०

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपरिस्थित :- 1- श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव - अधिवक्ता वादी
2- श्री योगेन्द्र सोलंकी - अधिवक्ता प्रतिवादी नंबर 1,2 3

:: निर्णय ::

दिनांक :- 11.02.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जाकर वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा वादी व प्रतिवादीगणों की संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की पुश्तैनी पैतृक आराजियात वादग्रस्त आराजीयात वाके मौजा बांगेडाघाटा पटवार हल्का बांगेडाघाटा तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 736 की आराजी नंबर 1443 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1503 रकबा 0.6100 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1509 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1510 रकबा 0.7100 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1513 रकबा 0.2000 हैक्टेयर आराजी नंबर 1526 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1529 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1543 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, आराजी नंबर 345 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, आराजी नंबर 346 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, आराजी नंबर 576 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, आराजी नंबर 579 रकबा 0.7900 हैक्टेयर, आराजी नंबर 622 रकबा 0.8400 हैक्टेयर, आराजी नंबर 837 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, आराजी नंबर 838 रकबा 0.0200 हैक्टेयर कुल कित्ता 15 कुल रकबा 5.1600 हैक्टेयर, खाता संख्या 314 की



सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

आराजी नंबर 620 रकबा 1.7600 हैक्टेयर खाता संख्या 735 की आराजी नम्बर 1354 रकबा 2.3600 हैक्टेयर, खाता संख्या 734 की आराजी नंबर 1349 रकबा 3.6000 हैक्टेयर, आराजी 1502 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1593 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1796 रकबा 0.700 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1798 रकबा 2.7300 हैक्टेयर, आराजी नंबर 347 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, आराजी नंबर 349 रकबा 0.2700 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 8.0400 हैक्टेयर भूमि का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 09.12.2024 को जारी कर बंटवारा करने हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने बंटवारा फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29.01.2025 को प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

1 श्री तेजपाल पिता प्रभूलाल 1/2 रामसुखी पत्नी प्रभूलाल 1/2 धाकड़ सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर।

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म
1798 में से	1.36	माल 3
1354 में से	1.18	चाही 2
622 में से	0.42	बी. 3
837 में से	0.07	चाही A
1529 में से	0.22	चाही 2
1543 में से	0.06	माल 2
1502 में से	0.06	चाही 2

कुल किता-7 3.37 हैक्टेयर

2 श्री हीरालाल पिता नानालाल धाकड़ सा. देह खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म
1798 में से	0.68	माल 3
1354 में से	1.18	चाही 2
1349 में से	2.40	चाही 2
620 में से	0.59	बी. 3
837 में से	0.05	चाही A
838	0.02	बी. 3
579 में से	0.35	चाही 3
576	0.29	चाही 2
1509	0.43	चाही 2
1513	0.20	चाही A
1526	0.02	चाही A
1529 में से	0.20	चाही 2
1543 में से	0.12	चाही 2
1443 में से	0.17	चाही A

कुल किता-14 6.70 हैक्टेयर

3 श्री कन्हैयालाल पिता मांगीलाल 1/2, मोतीलाल पिता मांगीलाल 1/2 धाकड़ सा. देह खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म
1796	0.70	चाही 3
349 में से	0.13	चाही 2
347 में से	0.22	चाही 2

कुल किता-3 1.05 हैक्टेयर



सहायक कलेक्टर
निम्बाहेड़ा

- 4 श्री सुरेशचंद्र पिता लाभचंद, शांतिलाल पिता लाभचंद, मुन्नी पिता लाभचंद, हुड़ी पिता लाभचंद, सीता पत्नी लाभचंद, सावित्री देवी पिता भंवरलाल धाकड़ सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबंदी

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	किस्म
1798 में से	0.69	माल 3
620 में से	1.17	बी. 3
1349 में से	1.20	चाही 2
1502 में से	0.12	चाही 2
1593 में से	0.03	चाही A
1443 में से	0.08	चाही A

कुल किता-6 3.29 हैक्टयेर

- 5 श्री जमना पत्नी कन्हैयालाल धाकड़ सा. देह खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	किस्म
1503	0.16	चाही 2
347 में से	0.22	चाही 2
349 में से	0.14	चाही 2
1593 में से	0.03	चाही A
345	0.50	चाही 2
346	0.16	चाही 2
579 में से	0.44	चाही 3
622 में से	0.42	बी. 3
837 में से	0.07	चाही A
1510	0.71	चाही A
1502 में से	0.06	चाही 2

कुल किता-11 2.91 हैक्टयेर

वकील वादी ने वादपत्र मे अंकित कथनो को दोहराया। वादी पक्षकारान ने तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त फर्द विभाजन प्रस्ताव अनुसार बटवारा किये जाने हेतु सहमति जाहिर की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:-

- 1 श्री तेजपाल पिता प्रभूलाल 1/2 रामसुखी पत्नी प्रभूलाल 1/2 धाकड़ सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर।

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	किस्म
1798 में से	1.36	माल 3
1354 में से	1.18	चाही 2
622 में से	0.42	बी. 3
837 में से	0.07	चाही A
1529 में से	0.22	चाही 2
1543 में से	0.06	माल 2
1502 में से	0.06	चाही 2

कुल किता-7 3.37 हैक्टयेर



सहायक कलेक्टर
निम्बाहेड़ा

2 श्री हीरालाल पिता नानालाल धाकड़ सा. देह खातेदार


आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म
1798 में से	0.68	माल 3
1354 में से	1.18	चाही 2
1349 में से	2.40	चाही 2
620 में से	0.59	बी. 3
837 में से	0.05	चाही A
838	0.02	बी. 3
579 में से	0.35	चाही 3
576	0.29	चाही 2
1509	0.43	चाही 2
1513	0.20	चाही A
1526	0.02	चाही A
1529 में से	0.20	चाही 2
1543 में से	0.12	चाही 2
1443 में से	0.17	चाही A

कुल किता-14 6.70 हैक्टेयर

3 श्री कन्हैयालाल पिता मांगीलाल 1/2, मोतीलाल पिता मांगीलाल 1/2 धाकड़ सा. देह खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म
1796	0.70	चाही 3
349 में से	0.13	चाही 2
347 में से	0.22	चाही 2

कुल किता-3 1.05 हैक्टेयर



4 श्री सुरेशचंद्र पिता लाभचंद, शांतिलाल पिता लाभचंद, मुन्नी पिता लाभचंद, हुड़ी पिता लाभचंद, सीता पत्नी लाभचंद, सावित्री देवी पिता भंवरलाल धाकड़ सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबंदी

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म
1798 में से	0.69	माल 3
620 में से	1.17	बी. 3
1349 में से	1.20	चाही 2
1502 में से	0.12	चाही 2
1593 में से	0.03	चाही A
1443 में से	0.08	चाही A

कुल किता-6 3.29 हैक्टेयर

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

5 श्री जमना पत्नी कन्हैयालाल धाकड़ सा. देह खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म
1503	0.16	चाही 2
347 में से	0.22	चाही 2
349 में से	0.14	चाही 2
1593 में से	0.03	चाही A
345	0.50	चाही 2
346	0.16	चाही 2
579 में से	0.44	चाही 3
622 में से	0.42	बी. 3

837 में से	0.07	चाही A
1510	0.71	चाही A
1502 में से	0.06	चाही 2

कुल किता-11 2.91 हैक्टेयर

तहसीलदार निम्बाहेडा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अलग अलग खाते व लगाम कायम करे व पहुँच मार्ग सुनिश्चित करें। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा



प्रकरण संख्या 242/2022 वाद
मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला निम्बाहेड़ा
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस)
उनवान

1. श्री हीरालाल पुत्र नानालाल जी जाति धाकड आयु 85 वर्ष निवासी बांगेडा घाटा तह०
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़

-वादी

बनाम

1. रामसुखी बाई पत्नि प्रभुलालजी जाति धाकड आयु 80 वर्ष निवासी बांगेडा घाटा तह०
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज
2. तेजपाल पिता प्रभुलालजी जाति धाकड आयु 22 वर्ष निवासी बांगेडा घाटा तह०
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राजे०
3. जमना पत्नि कन्हैयालालजी जाति धाकड आयु वयस्क निवासी बांगेडा घाटा तह०
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
4. कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल जी जाति धाकड आयु 60 वर्ष निवासी बांगेडा घाटा तह०
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
5. मुन्नी पुत्री लाभचन्द जी पत्नि सुखलालजी जाति धाकड आयु 55 वर्ष निवासी बांगेडा
घाटा तह० निम्बाहेडा हा०मु० अचलावदा तह० जावद जिला नीमच म०प्र०
6. मोतीलाल पुत्र मांगीलालजी जाति धाकड आयु 55 वर्ष निवासी बांगेडा घाटा तह०
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज
7. शांतिलाल पिता लाभचन्द जी जाति धाकड आयु 58 वर्ष निवासी बांगेडा घाटा तह०
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
8. सुरेशचन्द्र पिता लाभचन्दजी जाति धाकड आयु 60 वर्ष निवासी बांगेडा घाटा तह०
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
9. सावित्री देवी पुत्री भंवरलाल जी पत्नि भोलीरामजी जाति धाकड आयु 45 वर्ष निवासी
बांगेडा घाटा तह० निम्बाहेडा हा०मु० अमरपुरा तह० जावद जिला नीमच म०प्र०
10. सीता पत्नि लाभचन्द जी जाति धाकड आयु 80 वर्ष निवासी बांगेडा घाटा तह०
निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
11. हुडी पुत्री लाभचन्द जी पत्नि रामनिवास जी जाति धाकड आयु 55 वर्ष निवासी
बांगेडाघाटा तह० निम्बाहेडा हाल मुकाम कनेरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
12. भूमिधारी तहसीलदार साहब निम्बाहेडा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


उपस्थित :- 1- श्री नरेन्द्र वैष्णव - अधिवक्ता वादी

2- श्री योगेन्द्र सोलंकी - अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1,2,3

:: निर्णय ::

दिनांक :-11.02.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा बहाजिरी श्री नरेन्द्र वैष्णव वादी अधिवक्ता, योगेन्द्र सोलंकी
अधिवक्ता प्रतिवादी नं. 1,2 व 3 पैरोकार सरकार जयें तहसीलदार तहसीलदार निम्बाहेड़ा
हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुकम दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53,88 राज.
निम्बाहेड़ा काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजियात बांगेडाघाटा पटवार
हल्का बांगेडाघाटा तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 736 की आराजी नंबर 1443 रकबा 0.
2500 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1503 रकबा 0.6100 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1509 रकबा 0.4300
हैक्टेयर, आराजी नंबर 1510 रकबा 0.7100 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1513 रकबा 0.2000
हैक्टेयर आराजी नंबर 1526 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1529 रकबा 0.4200
हैक्टेयर, आराजी नंबर 1543 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, आराजी नंबर 345 रकबा 0.5000 हैक्टेयर,
आराजी नंबर 346 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, आराजी नंबर 576 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, आराजी
नंबर 579 रकबा 0.7900 हैक्टेयर, आराजी नंबर 622 रकबा 0.8400 हैक्टेयर, आराजी नंबर
837 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, आराजी नंबर 838 रकबा 0.0200 हैक्टेयर कुल किता 15 कुल
रकबा 5.1600 हैक्टेयर, खाता संख्या 314 की आराजी नंबर 620 रकबा 1.7600 हैक्टेयर खाता
संख्या 735 की आराजी नंबर 1354 रकबा 2.3600 हैक्टेयर, खाता संख्या 734 की आराजी
नंबर 1349 रकबा 3.6000 हैक्टेयर, आराजी 1502 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1593



रकबा 0.0600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1796 रकबा 0.700 हैक्टेयर, आराजी नंबर 1798 रकबा 2.7300 हैक्टेयर, आराजी नंबर 347 रकबा 0.4400 हैक्टेयर, आराजी नंबर 349 रकबा 0.2700 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 8.0400 हैक्टेयर भूमि का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 09.12.2024 को जारी कर बंटवारा करने हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने बंटवारा फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29.01.2025 को प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

1 श्री तेजपाल पिता प्रभूलाल 1/2 रामसुखी पत्नी प्रभूलाल 1/2 धाकड़ सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर।

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म
1798 में से	1.36	माल 3
1354 में से	1.18	चाही 2
622 में से	0.42	बी. 3
837 में से	0.07	चाही A
1529 में से	0.22	चाही 2
1543 में से	0.06	माल 2
1502 में से	0.06	चाही 2

कुल किता-7 3.37 हैक्टेयर

2 श्री हीरालाल पिता नानालाल धाकड़ सा. देह खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म
1798 में से	0.68	माल 3
1354 में से	1.18	चाही 2
1349 में से	2.40	चाही 2
620 में से	0.59	बी. 3
837 में से	0.05	चाही A
838	0.02	बी. 3
579 में से	0.35	चाही 3
576	0.29	चाही 2
1509	0.43	चाही 2
1513	0.20	चाही A
1526	0.02	चाही A
1529 में से	0.20	चाही 2
1543 में से	0.12	चाही 2
1443 में से	0.17	चाही A

कुल किता-14 6.70 हैक्टेयर

3 श्री कन्हैयालाल पिता मांगीलाल 1/2, मोतीलाल पिता मांगीलाल 1/2 धाकड़ सा. देह खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म
1796	0.70	चाही 3
349 में से	0.13	चाही 2
347 में से	0.22	चाही 2

कुल किता-3 1.05 हैक्टेयर

4 श्री सुरेशचंद्र पिता लाभचंद, शांतिलाल पिता लाभचंद, मुन्नी पिता लाभचंद, हुड़ी पिता लाभचंद, सीता पत्नी लाभचंद, सावित्री देवी पिता भंवरलाल धाकड़ सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबंदी

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म
1798 में से	0.69	माल 3
620 में से	1.17	बी. 3



सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

1349 में से	1.20	चाही 2
1502 में से	0.12	चाही 2
1593 में से	0.03	चाही A
1443 में से	0.08	चाही A

कुल किता-6 3.29 हैक्टेयर

5 श्री जमना पत्नी कन्हैयालाल धाकड़ सा. देह खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म
1503	0.16	चाही 2
347 में से	0.22	चाही 2
349 में से	0.14	चाही 2
1593 में से	0.03	चाही A
345	0.50	चाही 2
346	0.16	चाही 2
579 में से	0.44	चाही 3
622 में से	0.42	बी. 3
837 में से	0.07	चाही A
1510	0.71	चाही A
1502 में से	0.06	चाही 2

कुल किता-11 2.91 हैक्टेयर

अतः उपरोक्तानुसार बटवारां स्वीकार किया जाता है तहसीलदार निम्बाहेड़ा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे व पहुंच मार्ग सुनिश्चित करें। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिक्केन अपना अपना वहन करे।

चीज मुबलिक बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.02.2025 को जारी की



(Signature)

दस्तखत
ओहदा
रुपया
पैसा
कलक्टर
निम्बाहेड़ा

मुददई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
.....				
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
.....				
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
.....				
महनताना वकील			महनताना वकील		
.....				
खर्चा गवाहान.			खर्चा गवाहान		
.....	0	0	0	0
फीस कमिश्नर.			फीस कमिश्नर		
.....				
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
.....				
मुतफरिक			मुतफरिक		
.....				
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिक्केन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।